रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092023-248915
CG-DL-E-23092023-248915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
No. 656] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/196/2015/डीडी/293/2015/डीसी/1136/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन समिति ने **सीए. टी आर एल नरसिम्हन (सदस्यता संख्या 201782), 406, चौथी मंजिल, सुरुथी ब्लॉक, चित्रा एवेन्यू नंबर 9, चूलईमेदू हाई रोड, चेन्नई (तमिलनाडु) 600094,** को उक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) और पहली अनुसूची के भाग IV के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् **सीए. टी आर एल नरसिम्हन (सदस्यता संख्या 201782)** के नाम को 04 (चार) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 25,000/- (पच्चीस हजार रुपए) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 03 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि

सीए. टी आर एल नरसिम्हन (सदस्यता संख्या 201782) का नाम 22 सितंबर, 2023 से 04 (चार) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./438/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/196/2015/DD/293/2015/DC/1136/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. T R L Narasimhan (Membership No. 201782), 406, 4th Floor, Suruthi Block, Chitra Avenue No.9, Choolaimedu High Road, CHENNAI(Tamilnadu) 600094,** guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of Second Schedule and Clause (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act read with Section 22 of the said Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of the name of **CA. T R L Narasimhan (Membership No. 201782)** from the Register of Members for a period of 4(Four) months and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only to be paid within 03(three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed from the Register of Members for a further period of 01(One) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. T R L Narasimhan (Membership No. 201782)**, **shall stand removed for a period of 04(Four) months with effect from 22nd September, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./438/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA